**न्यायालय सिविल जज (जे0डी0) हरिद्वार।**
**मूलवाद सं0 401/2023**
**कम्प्यूटर सं0 398/2023**
**रामगोपाल बनाम रामेश्वरपाल आदि।**

**दिनांकः— 31.07.2024**

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री चितरंजन सिंह चौहान तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनोज कुमार गर्ग उपस्थित। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

**निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं0 45ग2 अंतर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता**

प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. कागज सं0 45ग2/1 दिनांकित 22.02.2024 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वाद उपरोक्त में माननीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में यथास्थिति के आदेश पारित किये हैं जो प्रभावी चले आ रहे है। प्रश्नगत सम्पत्ति के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति लाने हेतु एडवोकेट कमिशनर माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था और एडवोकेट कमिशनर द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत सम्पत्ति की मौके की वास्तविक स्थिति सम्बन्धी रिपोर्ट मय नक्शा नजरी प्रस्तुत की गई है और उक्त आख्या में मुख्य रास्ते पर गेट ना लगा होने की बात भी स्पष्ट रूप से दर्शित की है और मौके के फोटोग्राफ भी अपनी आख्या के साथ दाखिल किये गये हैं। मुख्य रास्ते पर गेट ना लगे होने से प्रतिवादी की सुरक्षा खतरे में पड गयी है। प्रतिवादी के घर में पूरा परिवार रहता है और मुख्य रास्ते पर गेट ना होने के कारण प्रतिवादी का घर पूर्णतया असुरक्षित हो गया है और असामाजिक तथ्वों का प्रतिवादी के घर में आकर कोई भी अपराधिक घटना कारित करने का अन्देशा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को प्रश्नगत सम्पत्ति के मुख्य द्वार पर अपने स्वयं के खर्चे पर गेट लगाये जाने की अनुमति दी जानी प्रार्थनीय है। प्रतिवादी इस बात की भी अन्डरटेकिंग देने को तत्पर है कि यदि दौरान वाद माननीय न्यायालय प्रतिवादी द्वारा माननीय न्याायालय के आदेश से गेट लगाने के उपरान्त हटाने के आदेश पारित करते हैं तो प्रतिवादी उक्त गेट को स्वयं अपने खर्चे पर गेट लगाने की अनुमति प्रदान की जानी प्रार्थनीय है।

**2.** वादी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र कागज सं0 57ग2 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रतिवादी सं0 1 का अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन करना कि मुख्य रास्ते पर गेट ना लगे होने से प्रतिवादी की सुरक्षा खतरे में पड गयी है। प्रतिवादी के घर में पूरा परिवार रहता है और मुख्य रास्ते पर गेट ना लगे होने से प्रतिवादी के घर पूर्णतया असुरक्षित हो गया है और

सामाजिक तत्वों का प्रतिवादी के घर में आकर कोई भी अपराधिक घटना कारित करने का अंदेशा है, कथन तमामतर गलत व असत्य है बल्कि सत्यता यह है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के जिस हिस्से पर प्रतिवादी सं0 1 अपने परिवार सहित निवास करता है वह चारों ओर से पूर्ण रूप से सुरक्षित है और जो पूर्ण रूप से कवर्ड व बंद है, जिसमें दो गेट पूर्व से ही लगे है, जिनमें रहते हुए प्रतिवादी व उसके परिवार को किसी भी प्रकार की असुरक्षा नही है। उक्त दोनों गेट ''दरवाजो'' को एडवोकेट कमिशनर के द्वारा दायर की गयी आख्या के साथ फोटोग्राफ में भी दर्शित है, जिस कारण से भी उपरोक्त प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

**3.** सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

**4.** वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय न्याय निर्णय **रामबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 द्वारा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ सिविल सप्लाई गर्वनमेन्ट ऑफ यू0पी0, लखनउ [ 2012 (93) ALR 100]** प्रस्तुत की गयी।

**5.** पत्रावली के परिशीलन से दर्शित होता है कि वादी द्वारा वाद स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रश्नगत सम्पत्ति प्रतिवादी के विरूद्ध योजित किया है। न्यायालय द्वारा वादी के हक में वाद योजन के समय एक पक्षीय अन्तरिम आदेश पारित किया था कि प्रतिवादीगण वादी को प्रश्नगत सम्पत्ति में सम्पत्ति में किसी भी विशेष भू भाग को तोड फोडकर व विशेष भूभाग पर निर्माण कर प्रश्नगत सम्पत्ति को खुर्द बुर्द न करे व न कराये। उक्त आदेश वर्तमान दिनांक तक प्रभावी चला आता है। प्रतिवादी सं0 1 अपनें प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के आगे गेट लगाने की अनुमति चाहता है। वादी द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत सम्पत्ति वादी व प्रतिवादी की संयुक्त सम्पत्ति चली आती है तथा प्रतिवादी सं0 1 प्रश्नगत सम्पत्ति मे निवास कर रहा है और प्रश्नगत सम्पत्ति में मुख्य गेट नही लगा है। जैसा कि पत्रावली पर प्रस्तुत अमीन आख्या व संलग्न फोटोग्राफ से भी दर्शित होता है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा मुख्य आधार यह बताया गया है कि मुख्य द्वार पर गेट न लगा होने से असुरक्षा व अपराधिक गतिविधियां होने की संभावना से जिससे प्रतिवादी के परिवार को खतरा है। न्यायालय के मत में प्रतिवादी सं0 1 को प्रश्नगत सम्पत्ति की संरक्षण व उस पर निवास करने वाले पक्षकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य द्वार पर गेट लगाने की अनुमति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहां तक प्रश्न वादी द्वारा की गई आपत्ति का है कि वादी बाहर गेट लगाकर सम्पत्ति को कब्जे में लेना चाहता है, इस हेतु प्रतिवादी सं0 1 को शर्तो के साथ अनुमति दी जा सकती है। प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रतिवादी सं0 1 का प्रार्थना पत्र कागज सं0 45ग2 निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी मुख्य द्वार पर अपने खर्चे पर गेट लगा सकते है तथा न्यायालय के अग्रिम आदेश की स्थिति में लगाए गए गेट को स्वयं के खर्चे पर हटाएगें। प्रतिवादी गेट लगाने उपरांत ऐसा कोई कार्य नही करेंगे जिससे वादी को सम्पत्ति पर आने जाने में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न हो, इसके अतिरिक्त न्यायालय का आदेश दिनांकित 29.08.2023 में कोई परिवर्तन न समझा जाये। वादी की आपत्ति तदानुसार निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते सुनवाई कागज सं0 7सी2 हेतु दिनांक 10.09.2024 को प्रस्तुत हो।

**(अंजु)**
सिविल जज (जे0डी0) हरिद्वार